

कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल, उदयपुर (राज.)पिन-313001

E-mail :- dcf.udpr.forest @gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स./2024-25/

दिनांक:-

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर

विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भ:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर का पत्र क्रमांक एफ 14 (373/35) 2020/एफसीए/प्रमुखसं/6899-6900 दिनांक 27.07.2023 एवं आप कार्यालय का पत्र क्रमांक 5266 दिनांक 29.08.2023 एवं इस कार्यालय का पत्रांक 7373 दिनांक 19.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि जिला कलक्टर, उदयपुर से प 39/1()राजल/गै.व.प्र./2023/1875-76 दिनांक 7.8.2024 प्राप्त हुआ है। उक्त पत्र से कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर जारी एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 से गोगुन्दा-किरत मार्ग में ग्राम भवीरया, उपरेटा, को सम्मिलित किये जाने से अवगत करावाया गया है। पत्र की छाया प्रति संलग्न प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(मुकेश सैनी)

उप वन संरक्षक,

उदयपुर

दिनांक:-11/9/24

क्रमांक:-एफ()/तकनिकी/उ.व.स.उ./2024-25/ 6261-62

प्रतिलिपि मेसर्स दिनेश इंजिनियरिंग प्रा.लि. को सूचनार्थ प्रेषित है।



उप वन संरक्षक,

उदयपुर



कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./गै.व.प्र./2023/1875-76

दिनांक 7.08.2024

निमित्त

उप वन संरक्षक
उदयपुर ।

विषय: मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा, ऋषभदेव, झाडोल व लसडिया से प्रस्ताव प्राप्त हुए जिस पर इस कार्यालय से दिनांक 24.02.2023 को वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु तीन एफ.आर.ए प्रमाण पत्र जारी किये ।

जिस पर आवेदक मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोवाइटर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया कि ओ.एफ.सी लेयिंग के प्रकरण में जारी तीन एफ.आर.ए प्रमाण पत्र में एक प्रमाण पत्र क्रमांक एफ.39/1()राजस्व/एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 गोगुन्दा से किरत मार्ग में भवरिया, उपरेटा एवं काडा ग्रामों का उल्लेख नहीं किया गया जाकर अन्य प्रमाण पत्र में सम्मिलित किया गया है। जिससे उक्त ग्रामों को गोगुन्दा - किरत मार्ग के प्रमाण पत्र में जोड़ने हेतु निवेदन किया गया है।

अतः इस कार्यालय के जारी एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र क्रमांक एफ.39/1() राजस्व/एफ.आर.ए/2023/690-92 दिनांक 24.02.2023 गोगुन्दा-किरत मार्ग में ग्राम भवरिया, उपरेटा को सम्मिलित किया जाता है ।

M

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

प्रतिलिपि:-

मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोवाइटर, उदयपुर ।

M
जिला कलक्टर,
उदयपुर





निमित्त

उप वन संरक्षक,
वन भवन, मोहता पार्क के सामने, चेटक सर्कल,
उदयपुर (राज.) पिन- 313001

विषय:- Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS- 0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km. (Gogunda-Kirat Road) District Udaipur (Raj.)

सन्दर्भ:- क्रमांक एफ()/तकनिकी/उ.व.स./2020-21/3582 दिनांक 08.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके पत्र द्वारा जिन शर्तों का उल्लेख किया गया है उसकी पालना में हमारा स्पष्टीकरण निम्नानुसार प्रेषित है :-

क्र.सं.	विवरण	जो कार्यवाही की गई है।
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।




Dinesh Engineers Limited

Infrastructure Provider (IP-1)

F-14, First Floor, Mahima Trinity,
Plot No. 5, Swage Farm, New Sanganer Road
Jaipur, Rajasthan - 302 019
Tel: 022-2770 4600 - 4700
Email: admin@depl.co.in • www.depl.co.in
GST No: 08AACCD3117C179

35

7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	Undertaking प्रस्तुत कर दी गई है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	Undertaking जिला कलक्टर की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	अनुपालना प्रस्तुत कर दी गई है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जरी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रस्तुत कर दी गई है।
12	भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना करें।	अनुपालना प्रस्तुत कर दी गई है।



RAKESH KUMAR
DY. MANAGER



राजस्थान RAJASTHAN

AY 511494

Serial No. 4351212
Date 19/6/2021

NOTARIAL

शपथ पत्र

Project Name : Diversion of 0.3648 ha. of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. for laying of underground optical fiber cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 58.285 km (Gogunda-Kirat Road) District Udaipur, Rajasthan.

Proposal No. : (FP/RJ/OFC/43686/2020)


Applied Area : 0.3648 Ha.

मनके Rakesh Kumar शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि :-

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह है कि मिकर दिनेश इन्जियरिंग लिमिटेड का अँटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।

....2

[Signature]
IDENTIFIED BY ME





5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।
 6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।
 7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।
 8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, जाकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमत है।
 9. प्रयोक्ता अधिकरण आप द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण पूर्णतया सहमत है।
- यह है कि प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अधिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. उक्त बिन्दु की पालना के क्रम में वनाधिकार अधिनियम के तहत वांछित एफआरए सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न कर दी गई है।
 11. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अधिकरण की पूर्णतया सहमति है।
 12. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अधिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।



IDENTIFIED BY ME

[Signature]



Sworn before me & admitted
the contents to be true

19 JUN 2021

GOPAL KRISHNA BAHETI
NOTARY, Area Dist. Udaipur (Raj.)
Regd. No. 4982, Expiry Date 02/12/2022

DINESH ENGINEERS
JAIPUR
(RAKESH KUMAR)
Deputy Manager

Dinesh Engineers Limited



दिनांक:- 14.06.2021


क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020


Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)
Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बढ़ता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की सैधान्तिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S
(मुकेश सेनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

भवदीय

Rakesh Kumar
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



...the ... Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier ... Anantnag (dist) ... Kabeer Pandey (Official name) ... son of Ghulam Hassan Akhbar ...

Notice under Section 140 of the Consolidation and Reconstruction of Financial Security Interest Act, 2002 (The Act)



The CBI on Fri-
Former Mins-
www.cbi.gov.in
tioned
de Too
instable

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

दिनांक:- 14.06.2021


Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)
Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district and succumbed to his injuries on Friday, reports Saleem Pandit. Official sources identified him as Mohammed Saleem Akhoun, son of Ghulam Hassan Akhoun, resident of Bhejbhera.

Notice under section 13(2) of the...



The CUI on Fr...
Group.com
tioned

दिनांक:- 14.06.2021


क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)
Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S
/ (मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was killed and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district on Friday, reports. **Saleem Pandit**, official source identified him as **Muhammed Saleem Akhron**, son of **Abulam Hassan Akhron**, resident of **Bhejjhera**.

Notice under section 15(2) of the Securities Act, 2003



Member
on Fri
com
pa

क्रमांक- FP/RJ/OFC/43686/2020

दिनांक:- 14.06.2021

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.


Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S
कि
(मुकेश सेनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर


(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district and succumbed to his injuries on Friday, reports Saleem Pandit. Official source identified him as Mohammed Saleem Akhoun, son of Ghulam Hassan Akhoun, resident of Bhejbhera.



The CBI on Fri...
for the Min...
Group.com
Bhejbhera
Dated

Notice under section 13(7) of the...

दिनांक:- 14.06.2021

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020



Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)
Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S

(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर


भूवर्दीय

(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district on Friday, reports Saleem Pandit. Official sources identified him as Mohammed Saleem Akhoun, son of Ghulam Hassan Akhoun, resident of Bhejbhera.



THE CHIEF MINISTER
JAMMUN AND CASHMIRE
OFFICE
Srinagar

दिनांक:- 14.06.2021

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.


Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बहता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district and succumbed to his injuries on Friday, reports Saleem Pandit. Official sources identified him as Mohammed Saleem Akhoo, son of Ghulam Hassan Akhoo, resident of Bhejbera.



The CM on Fri...
The CM on Fri...
The CM on Fri...
The CM on Fri...

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

दिनांक:- 14.06.2021

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.


Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S.
(मुकेश सेनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर



(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district on Friday, reports Saleem Pandit. Official sources identified him as Akhamed Saleem Akhmed, son of Ghulam Hassan Akhmed, resident of Bhejbehra.



The Ch...
...com

दिनांक:- 14.06.2021


क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.
Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)
Applied Area:- 0.3648 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-10 का वचन बहता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (10) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

C.S
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर



(Prakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier was shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district and succumbed to his injuries on Friday, reports Saleem Pandit. Official sources identified him as Mohammed Saleem Akhoun, son of Ghulam Hassan Akhoun, resident of Bhejbhera.



क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

दिनांक- 14.06.2021

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.


Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 8.03.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

C.S.
(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर


(Rakesh Kumar)
Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited

क्रमांक:- FP/RJ/OFC/43686/2020

दिनांक:- 14.06.2021

Project Name:- Diversion of 0.3648 ha. Of forest land in favour of Dinesh Engineers Ltd. For Laying of Underground Optical Fiber Cable along the road within the existing ROW from KMS-0/0 to KMS 58.285 = 58.285 km (Gogunda-Kirat road) District Udaipur, Rajasthan.

Proposal No:- (FP/RJ/OFC/43686/2020)

Applied Area:- 0.3648 Ha

सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-12 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (134) वन/2020 दिनांक 09.03.2021 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (12) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के आदेश क्रमांक एफसी-11/165/2019-एफसी दिनांक 27.07.2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों की अनुपालना की जावेगी।

CS



(मुकेश सैनी)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

भवदीय



Deputy Manager
Dinesh Engineers Limited



FORM-1
(For linear projects)
Government of Rajasthan
Office of the District collector UDAIPUR

No. F.39/1()Rev/FRA/2023/ 690 -92

Date: - 24.02.2023

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of Ministry of Environment and forests (MoEF). Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence of having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006(FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non- forest purposes read with MOEF's letter dated 5 February 2013 where in MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It has been certified that a total area 0.3648 Hectares of forest land is proposed to be diverted in favor of Dinesh Engineers Limited Udaipur laying of Underground optical fiber cable for village Padavali kala sub division Gogunda District udaipur (purpose for diversion of forest land) for laying optical fiber cable in line comes under the jurisdiction of village Padavali kala Gogunda Tehsil.

It is further certified that: -

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.3648 Hectares of forest area proposed from the from gram panchayat Padavali kala.
- (b) A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee (s) Gram sabha (s) sub-Division Level committee (s) and the district level committee are enclosed as annexure.
- (c) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (d) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre- agricultural communities.

Encl:- As above


(Tara Chand Meena)
District Collector,
Udaipur

Copy forward to-

- ✓ 1. D.C.F. Udaipur,
2. S.D.M. Gogunda..
3. Dinesh Engineers Limited.udaipur .

District Collector,
Udaipur

FRA
③
10/3/23



57/20

1

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

कमांक - राजस्व/2021/ 526
प्रेषिति -

दिनांक - 14.06.2021

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदया,
उदयपुर।

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइंडर (आईपी-1) द्वारा गोगुन्दा किस्ट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य के मध्य वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए तहसीलदार गोगुन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पटवार मण्डल पड़ावली कलां में स्थित होकर वन ब्लॉक बलदीया के नाम से जानी जाती है। परन्तु उक्त भूमि अनसेटलड है, जिसका राजस्व रेकॉर्ड पड़ावली कलां में कोई रेकार्ड उपलब्ध नहीं है।

अतः तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है।

(नीलम लखार)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

11/2/21

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

क्रमांक: राजस्व / 2021 / 371

दिनांक - 14/06/2021

14

निमित्त-

✓ श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
गोगुन्दा जिला उदयपुर

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।


प्रसंग- श्रीमान का पत्र क्रमांक: 326 दिनांक 26.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन हैं कि मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी-1) द्वारा गोगुन्दा किरट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने कार्य प्रस्तावित हैं। उक्त मार्ग में वन विभाग की भूमि भी आ रही हैं। उक्त संबंध में पटवारी पटवार हल्का पड़ावली कलां से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। पटवारी पटवार हल्का पड़ावली कलां के द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि वन ब्लॉक बलदीया के नाम से जानी जाता हैं। परन्तु उक्त भूमि अनसेटल्ड हैं जिसका राजस्व रेकार्ड पड़ावली कलां में कोई रेकार्ड नहीं है।

अतः श्रीमान को रिपोर्ट सादर प्रेषित हैं।

संलग्न- पटवार हल्का मूल जांच रिपोर्ट।


14/6/21
तहसीलदार गोगुन्दा
जिला उदयपुर

सेवा में,

(3)

श्रीमान तटसोलदार राखव
तटसोल गोगुन्दा

विषय:- अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन
आधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि
के परिवर्तन के संबंध में।

प्रसंग:- श्रीमान की पत्र क्रमांक: राजस्व/विशेष/2021/367 दिनांक
8-6-2021 के क्रम में।

महोदयजी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख हैं

जो प्रासांगिक पत्रानुसार मैसर्स विनेश इंजिनियर्स लि. इन्फ्रास्ट्रक्चर
अबी मुम्बई के द्वारा गोगुन्दा क्रिस्ट मार्ग पर अण्डर काउण्ट
ऑप्टीकल फाइबर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है। एवं
प्रस्तावित भूमि वन ब्लॉक बलदीपा के नाम से जानी जाती है।
परन्तु उक्त भूमि अनसेटलड है जिसका राजस्व रेकॉर्ड पडावर्ल
कक्षा में कोई रेकॉर्ड नहीं है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में पेश है।



10-6-2021

पटवारी पडावर्ली कक्षा

राजस्व
11.6.21

487
11/6/2021

Principal Chief Conservator of Forests or Chief Conservator of Forests appointed by the Central Government at Regional Office to deal with the forest conservation matters under the Act;

(ed) "linear projects" means projects involving linear diversion of forest land for purposes such as roads, pipelines, transmission lines etc.;

(d) "Member" means a member of the Committee;

(e) "Nodal Officer" means any officer not below the rank of Conservator of Forests authorised by the State Government to deal with the forest conservation matters under the Act;

(f) "Regional Office" means a Regional Office of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests established as part of the Ministry to deal with the forest conservation matters under the Act;

(g) "Section" means a section of the Act;

(h) "User Agency" means any person, organisation or Company or Department of the Central or State Government making a request for diversion or de-notification of forest land for non-forest purpose or using forest land for non-forest purpose in accordance with the permission granted by the Central Government under the Act or the rules.

3. Composition of the Committee

(1) The Committee shall be composed of the following members:-

(i) Director General of Forests,

Ministry of Environment and Forests

Chairperson

(ii) Additional Director General of Forests,

Ministry of Environment and Forests

Member

(iii) Additional Commissioner (Soil Conservation),

Ministry of Agriculture

Member

(iv) Three non-official members who shall be experts

one each in Mining, Civil Engineering, and

Development Economics

Members

(v) Inspector General of Forests (Forest Conservation),

Ministry of Environment and Forests

Member Secretary

(2) Additional Director General of Forests shall act as the Chairperson in the absence of Director General of Forests

4. Terms of appointment of non-official members shall be as follows:-

(a) non-official member shall hold his office for a period of two years;

(b) non-official member shall cease to hold office if he becomes of unsound mind, becomes insolvent or is convicted by court of law on a criminal offence involving moral turpitude;

भूमि

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल जिला उदयपुर

कमांक/विविध/2021/526

दिनांक 02.07.2021

निमित्त,

श्रीमान जिला कलक्टर महोदय,
उदयपुर

राजस्व

311

05/07/2021

विषय :- अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैसर्स दिनेश ईंजिनियर्स लि. ईन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी-1) जयपुर उपखण्ड क्षेत्र झाडोल के ग्राम भंवरिया के खसरा संख्या 477, 478, 179, 01 किता 4 वि विभाग एवं ग्राम उपरेटा के खसरा संख्या 4, 5, 6 एवं 10 किता 4 वन विभाग से नाम खातेदारी में दर्ज होकर उसमें से फर्म अन्दर केबल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है।

अतः तहसीलदार झाडोल एवं भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त ओगणा की गूल ही रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार किता-2

उपखण्ड अधिकारी झाडोल
जिला उदयपुर (राज०)

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) आडोल, जिला उदयपुर
क्रमांक : भू.अ/ 2021/2024 दि. 01-07-2021

विविध
५

प्रेषित :

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
आडोल

विषय : अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत
वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम
2006 के तहत भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में

आंग - श्रीमान कार्यालय का पत्रांक विविध/2021/478
दि 22.06.2021

महोदय, उपर्युक्त विषयान्तर्गत मैसूर दिनेश ईजिनियर
लि. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी.।) जयपुर द्वारा उप-
खण्ड क्षेत्र आडोल के ग्राम भवारिया के खसरा सं.
477, 478, 479, 01 खिटा 4 वन-विभाग एवं ग्राम उपरेटा
के खसरा सं. 4, 5, 6 एवं 10 खिटा 4 वन-विभाग के
नाम खालेदारी में दर्ज होकर उसमें से फर्म द्वारा
अन्डर केवल बिछाने का कार्य प्रस्तावित है।

अतः भू.अ. निरीक्षक वृत्त डोगणा की रिपोर्ट
अनुसार भूमि वन-विभाग में अक्त कार्य हेतु
आग्निम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमान की सेवा
में प्रेषित है।

संलग्न - भू.अ. निरीक्षक वृत्त
डोगणा की रिपोर्ट

सुबोधन
तहसीलदार (भू.अ.) आडोल
जिला उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1787

दिनांक 01.08.2022

निमित्त

उपखण्ड अधिकारी,
झाड़ोल।

विषय: मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक: राजस्व/21/526 दिनांक 02.07.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त प्रस्ताव के साथ उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां संलग्न नहीं हैं।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

०१८ (तारा चन्द भीष्ण)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021//790

दिनांक 01.06.2022

निमित्त

उपखण्ड अधिकारी,
गोगुन्दा।

विषय: मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक: राजस्व/21/526 दिनांक 14.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। किन्तु उक्त प्रस्ताव के साथ उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंपा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां संलग्न नहीं है।

अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंपा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार गोगुन्दा जिला उदयपुर

क्रमांक:एफ/1()राजस्व/विविध/2022/९७६
प्रेषित,

दिनांक 11.10.2022

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
गोगुन्दा जिला-उदयपुर।

विषय:- अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने के कार्य के मध्य आने वाली वन भूमि की सूचना मय राजस्व रिकार्ड के संबंध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि पटवारी हल्का वास की रिपोर्ट अनुसार मैसर्स दिनेश रजि. लि. इन्फास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा गोगुन्दा किस्ट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर के बिछाने के कार्य के मध्य वन ब्लॉक बलदिया वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन की सूचना चाही गई परन्तु उक्त वन भूमि भूअ.नि.वृत्त-वास के किसी भी पटवार हल्के के क्षेत्राधिकार के राजस्व रिकार्ड में दर्ज ना होकर अनसेटल्ड एरिया के अन्तर्गत आती है। जिसका राजस्व रिकार्ड में कोई इन्द्राज नहीं है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान की सेवामें अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सलग्न:- पटवारी रिपोर्ट।

तहसीलदार गोगुन्दा
जिला उदयपुर
जिला उदयपुर (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-राजस्व/2022/1151

दिनांक:-11.10.2022

प्रेषति:-

श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय,
उदयपुर।

विषय:-अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के सम्बन्ध में।
प्रसंग:-श्रीमान् के पत्र क्रमांक:-प.39/1()राज./गै.व.प्र./2021/1790 दिनांक 01.06.2022 के सन्दर्भ में।

16645

राजस्व

महोदय,

9

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि० इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर (आईपी-1) द्वारा गोगुन्दा किरट मार्ग पर अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केवल विछाने के कार्य के मध्य वन भूमि स्थित होने से वन भूमि प्रत्यावर्तन के लिए तहसीलदार गोगुन्दा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि पटवार मण्डल पड़ावली कलां में स्थित होकर वन ब्लॉक बलदीया के नाम से जानी जाती है। परन्तु उक्त भूमि अनसेटलड है, जिसका राजस्व रेकॉर्ड पड़ावली कलां में कोई रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है।

अतः तहसीलदार गोगुन्दा से प्राप्त रिपोर्ट, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव एवं उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही रिपोर्ट संलग्न कर श्रीमान् की सेवामें प्रेषित है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(हनुमान सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा उदयपुर

सेवा में

श्रीमान् तहसीलदार महोदय,
तहसील कार्यालय गोगुंदा
जिला - उदुपपुर (शज.)।

विषय: उण्डर ग्राउण्ड ऑपरेणल फाईबर केपल सिद्धांत के
कार्य के मध्य आने वाली वन श्रमी की कुचन मय
राजस्व रिजार्ड के संबंध में।

महोदय, उपरोक्त विषयार्थगत निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इन्फ्र
लि इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा गोगुंदा-किरह मार्ग पंचउण्डर
ग्राउण्ड ऑपरेणल फाईबर के सिद्धांत के कार्य के मध्य वन-
ब्लॉक क्लॉपिंग वन-श्रमी स्थित होने से वन श्रमी सत्यापन की
सूचना जाही गई परंतु उक्त वन-श्रमी भू अ नि वृत्त-वास
के किसी भी प्रकार हल्के के क्षेत्राधीन के राजस्व रिजार्ड में
दर्ज ना होकर अनसेटल्ड एरिया के अन्तगत आती है
जिसका राजस्व रिजार्ड में कोई इन्प्लान नहीं है।

अतः श्रीमान् की सेवा में रिपोर्ट आर्गुम

कार्यवाही हेतु पेश है।

दिनांक
05/10/2022

Vijay
05/10/2022
पञ्जाय-वास

दिनांक 11/10/22 (18)

राज्य दिनांक 11/10/2022 को प्रायः 11-30 को
 उपखण्ड अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित
 जन जाति और अन्य परम्परागत जन जातियों
 (वन अधिकारों को मान्यता दिव्यनिगम 2008 और
 नियम 2008 एवं संगोष्ठी नियम 2012 की प्रत्यान्वयता
 की दालना में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 को बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित
 अधिकारीगण एवं सदस्यगण उपस्थित हुए:-

- | | | | | |
|----|------|----------------------|---------|--------------|
| 1. | श्री | इनुमान सिंह राठौर | SDM | |
| 2. | " | रविन्द्र सिंह चौधरी | CDR | |
| 3. | " | जेम्स सुन्दर | A.B.O | |
| 4. | - | सुरेश चन्द्र शर्मा | ASO | |
| 5. | " | अजय सिंह राठौर | वनपाल | |
| 6. | | पूर्णा शर्मा | वनपाल | पूर्वाभियंता |
| 7. | | मनोहर साठौर | RFI | |
| 8. | | सुश्रीमती देवी शर्मा | उपस्थित | सदस्य |

राज्य की बैठक में मैसर्स दिनेश इंजीनियर्स
 को प्रिन्सिपल फार्मलर काइलर काइलर के रूप में
 हेतु बनावेधका उम्मीदवार के सम्बन्ध में चर्चा
 हुई।

एत सम्बन्ध में सहजीवना (गोशुका) ले प्राप्त
 राजपत्र - अंक/10 / राजपत्र / विवेक / 2022 / 876
 दिनांक 11/10/2022 के फिर्मा फार्मलर काइलर
 का कार्य एक वर्षों के अवधि में वन अधिकारों में

इनके लिए वन भूमि उत्पादन की जाती है।
 किन्तु उक्त वन भूमि राज्य सरकार के
 अधीन है। इनके अलावा अन्य
 भूमि भी है। जिसका राज्य सरकार
 के अधीन है।

राज्य सरकार पर्यावरण विभाग एवं जल विभाग
 दिनांक 02/10/2022 को राज्य सरकार के
 आदेशों के माध्यम से निम्नलिखित आदेश
 पत्र जारी किया गया है।

वन विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त कक्षा
 केवल विभाग के सामने वन भूमि में स्थित
 है। हालांकि जमीन के आकार 3200 मीटर
 तक किया जा सकता है। उक्त भूमि निम्नलिखित
 आदेशों के माध्यम से राज्य सरकार के अधीन
 है। जिला जरीय जमीन
 को धीरे धीरे की जाती है।

[Signature] P.P.O. of []
 [Signature] A.B. []
 [Signature] []
 [Signature] []
 [Signature] []



20/11/22

उत्तर :- यह एक संवैधानिक प्रश्न है।
जिसके उत्तर के लिए हमें संविधान के प्रासंगिक
अनुच्छेदों का अध्ययन करना पड़ेगा।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।


उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।


उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।

उत्तर :- संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों का
रक्षण करने का अधिकार प्राप्त है।



[Faint, mostly illegible handwritten text in a cursive script, possibly Hebrew or Arabic, covering the majority of the page. The text is arranged in several horizontal lines.]





... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..


... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..

... ..
... ..



Handwritten text at the top of the page, possibly a header or title, including the word "संज्ञा" (Sankhya).

Handwritten text in the upper middle section, including the word "संज्ञा" (Sankhya) and other illegible characters.

Handwritten text in the middle section, including the word "संज्ञा" (Sankhya) and other illegible characters.

Handwritten text in the lower middle section, including the word "संज्ञा" (Sankhya) and other illegible characters.

Handwritten text in the lower section, including the word "संज्ञा" (Sankhya) and other illegible characters.

Handwritten text at the bottom of the page, including the name "रामलाल मीणा" (Ramlal Meena) and the title "ग्राम विकास अधिकारी" (Gram Vikas Adhikari).

कार्यालय ग्राम पंचायत, नाल

पंचायत समिति गोगुन्दा, जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक :- ग.प.न. / 2021-23 / 72

दिनांक... 02/10/2022

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्लान पेपापत खाल के वन क्षेत्र नजदीक में मैसरी दिनेश डेविनियस लि. इनफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टर (आईपी-1) द्वारा गोगुन्दा किराई मार्ग अण्डर ग्राउण्ड ऑर्टीकल फाईबर केबल बिछाने का कार्य किया जाता है तो ग.प. नाल को कोई आपत्ति नहीं है एवं इस हेतु ग्लानसभा दिनांक 02.10.2022 के अधिवेशन-02 द्वारा समितिसभ से प्रस्ताव स्वीकार किया गया है साथ ही इस बरकत में जहाँ केवल बिछाने का कार्य किया जाएगा वन अधिकार अधिकारी कि तब कोई टयमिगाह से सापेक्षित नून अधिकार दाना स्वीकार नहीं है एवं ना ही विचाराधीन है।

यह प्रमाण-पत्र आप दिनेश को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया।

श्री को.गाराज
(को.गाराज)
सरपंच
ग्राम पंचायत नाल
पंचायत समिति, गोगुन्दा, जिला उदयपुर


नाल

आज दिनांक 02/10/2022 को गवाम. प. नाल
 के भारत निर्माण समिति गौधी खेती
 पर श्रीमान् शासन लसिम गवाम विभाग
 के वेबसाइट विभाग रायस्थान नयपुर
 के आदेश क्रमांक-एड 4 (935) परानि/
 पीपी जल जीवन मिशन/ 02/2022 नयपुर
 दिनांक 23.09.2022 की अनुवाक्या में
 महात्मा गौधी जयंती 02 अक्टूबर 2022
 को गवाम नाल में गवामसभा का
 आयोजन मात्र प्रातः 10.30 बजे किया गया
 गया जिसका मुख्य एजेंडा -

- i) जल जीवन मिशन के संबंधित दरवाजा बंद
 प्रमाण-पत्र जारी किया जाना।
- ii) मुख्यमंत्री पिरमिरी स्वास्थ्य बीमा योजना
 के व्यापक प्रचार-प्रसार
- iii) सतत विज्ञान सत्रों के स्थानीय स्तर पर
 9 विषयों के संकल्प लिए जाने
- iv) वन क्षेत्र बलविया में नैतिक डिनेश इनिशियटिव
 लि. स्वच्छता प्रकल्प (बाईपी-1) द्वारा
 गौशुदा किराई मार्ग कापर गठरण कोषीकर
 कापैजट केवल विधिति से बनाया प्रमाण
 के सम्बन्ध में

आज कि गवामसभा में निम्न कनिषासिने
 एवं नन प्रतियुक्ति ने कापरी
 उपस्थिति प्रदान कि

(संयोजक)
 (गवामसभा)

क्र. सं.	नाम	पदनाम	...
01	श्री जोगेश्वर गोखले
02	जोताराम गोखले
03	पुनाराम जी
04
05	प्रभुलाल दास
06	पुष्कर पालेवाल
07	Nishu
08	पुष्पा गोखले	ANM	...

...

...

प्रस्ताव सं-०१। मान सम्मेलन के कार्यक्रम
 में मान सम्मेलन की शीर्ष पर लक्ष्मी
 के दक्षिण सुभक्तियों की गई हैं
 मान सम्मेलन के विरोध पर चले
 की लक्ष्मी के प्रेरणा प्रदान कि
 गई। यह एक स्वच्छ भारत
 मिशन के अंतर्गत स्वच्छ पेयपत्र
 नाल की स्वच्छ बनाने का
 कार्यक्रम है। स्वच्छ मिशन द्वारा
 स्वच्छ मिशन के लक्ष्मी मिशन
 द्वारा सम्मेलन में उपस्थित
 सदस्यों द्वारा।

एक संख्या
 १५५/१५
 का कुल संख्या
 गोपीलाल
 प्रिंश
 श्री रा
 हीना
 हंगरी
 रामा
 गोपीलाल
 नरनाथ
 लोचन लाल
 लक्ष्मी
 गोपीलाल
 गंगलाल

प्रस्ताव सं-०२। मान सम्मेलन में
 स्वच्छ पेयपत्र नाल के अंतर्गत
 बनकर लक्ष्मी में लक्ष्मी मिशन
 इन्जिनियरिंग लि. इन्फ्रास्ट्रक्चर
 प्रावर्द्धित (आईपी-१) द्वारा गोपुरा
 फिटर मगि पर उपरत ग्राउण्ड
 ऑथोरिटी फॉर वॉटर सप्लाय
 का कार्य किया जाता है जो
 ग्रा.प. नाल को कोई क्षति
 नहीं है इस सम्बन्ध में प्रस्ताव
 किया गया सम्मेलन में। सम्मेलन
 में सभी के प्रश्नात् उत्तर प्रस्ताव
 द्वारा सम्मेलन में उपस्थित सदस्यों
 द्वारा सर्वसम्मति से लक्ष्मी मिशन द्वारा

कोशिका
 (संख्या १५५/१५)
 संख्या १५५/१५
 पं.सं. १५५/१५

प्रस्ताव सं-०३।

नाल में सपिन की छे रिक्त पद पर चमन
 हेतु कार्गिलस अनिपेवाकु महिवा अधिकांश उल्लु
 द्वारा चमनित नाम योगति पुष्पा गमेली ५४०-
 ही लीखत गमेरी मिवाली मोरवी डा सपिन के
 पद पर चमन का अनुमोदन हेतु मिजवापे गये हैं।
 इस हेतु ग्राम समा में प्रस्ताव लिखा गया एवं
 ग्रामसभा में चर्चा के पश्चात् उक्त ग्राम
 पचापत नाल में सपिन के रिक्त पद हेतु ही
 आवेदन प्रस्तुत होने से योगति पुष्पा लीखत गमेरी
 मि. मोरवी का सपिन के पद पर चमन के
 प्रस्ताव का ग्राम समा द्वारा सर्वसंमति से
 अनुमोदन लिया गया।

प्रस्ताव सं. ०५ रा. प्रा. वि. डाकवाले हेतु पंच की
 आवश्यकता है।

प्रस्ताव सं. ०५ खुदा बावली नाथिमापल हेतु पंच,
 मिचला कुंडला, गड्डा खेडा कुंडला,
 डोनांरुण के घर के पास, सुमा (कनक)
 हाकला माता हेतु धाली पापमापल,
 डोण्डमा फला, चोकी का खेत,
 आमली कांछ खेडा राडापी कालनेरी डाकुंकरुणी
 नाथिमापल, बुगरी वाला नेडा (नाथिमापल),
 आशापुरा मातापी मिपला कला खेडा कुंडला,
 उपला गाडा कुंडला, निचला गाडा कुंडला,

कोटा राम
 (कानिगा)

सरपंच

१९५४

खेडा गावाची दायगावास, विलवाल घाटी नाशिमाल,
दुर का चौरा दायगावास, तुईवातली घाटी नाशिमाल,

मप पुर्तिका निर्माण
प्रस्ताव: 06 स.स. गेन रोड कुळावा खेडा, नास,

मप पुर्तिका निर्माण
प्रस्ताव: 07 स.स. बाल घाटी से वडली का चौरा

प्रस्ताव: 08 स.स. आगलीया जी कावणी से पईवाल
घाटी तड दायगावास नास

प्रस्ताव: 09 स.स. उरियागावा से निचला कुंडला
नास

प्रस्ताव: 10 स.स. मप पुर्तिका निर्माण गेन रोड से
दुर का चौरा नास।

प्रस्ताव: 11 स.स. तरेणा खेडा से जाल तड

प्रस्ताव: 12 दायगावास को दायगाव आम
जोने हेत।

प्रस्ताव: 13 स.स. नास से विलवाल घाटी
मेंदात हेत जमीन आवंटित करवाना।

कोषपाल
नास

10/10

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झाडोल, जिला उदयपुर (राज0)

क्रमांक / राजप. / 2022 / 16 S1

दिनांक 29.07.2022

प्रेषित

श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय,
उदयपुर

विषय - मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अप्ठर गारण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ - श्रीमान् के पत्र क्रमांक प.39/1()राज / मै.व.प्र. / 2021 / 1737 दिनांक 01.06.2022

संदर्भ

सम्बन्धित विद्यमानतः प्राप्त प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अप्ठर गारण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में ग्राम पंचायत काडा एवं प्राग पंचायत उपरेटा की पंचायतों की प्रान्तपालिका की पहलियां संलग्न कर मूल ही आगम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(1)
उपखण्ड अधिकारी झाडोल,
जिला उदयपुर (राज0)

15



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी झालील, जिला उदयपुर (राज०)

क्रमांक राज० २०२१/१६९९

दिनांक 29-7-2022

प्रेषित

श्रीमान् जिला कलेक्टर यादव,
उदयपुर

विषय - मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्रान्टेड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

संदर्भ - श्रीमान् का.प. क्रमांक प.३९/३()राज/मै.व.प./2021/1787 दिनांक 01.06.2022

संज्ञा

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के सन्दर्भ में निवेदन है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्रान्टेड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में ग्राम पंचायत कांडा एवं ग्राम पंचायत उपरेटा की ग्राम सभाओं की प्रतियां एवं उपखण्ड स्तर की समिति की अनुमति की प्रति मूल ही संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु श्रीमान् की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न - उपरोक्तानुसार


उपखण्ड अधिकारी झालील,
जिला उदयपुर (राज०)



जमावन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भवरिया
पटवार हल्का :- काडा
भू अभि.नि. :- ओगणा
तहसील :- झाडोल
जिला :- उदयपुर

संवत् :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 71
खाता संख्या पुराना :- 71

काश्तकार का नाम:-

1. वन विभाग रेन्ज झाडोल हिस्सा- पूर्ण वन विभाग.

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
74.5400	पहाड	74.5400			नोट नं. 1 से दिनांक 16/08/2021	खसरा संख्या : 1, 2, 20, 25,
2	0.2400	पहाड	0.2400			26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 340, 341, 342, 343, 354,
20	0.0500	पहाड	0.0500			355, 356, 359, 360, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482,
25	0.1800	पहाड	0.1800			483, 484, 486, 487, 490/1, 491/3, 492/4, 497/24, 498/34,
26	0.1400	पहाड	0.1400			500/39, 501/353, 502/352, 503/351, 505/336, 506/339,
27	0.0400	पहाड	0.0400			525/23, 8, 9 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006
28	0.0600	पहाड	0.0600			के अन्तर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के धारक रामरत ग्रामवासी
29	0.1300	पहाड	0.1300			भवरिया को अधिकार-पत्र नं० 9215/19 दिनांक 03/07/2019 से
30	0.1000	पहाड	0.1000			समस्त आराजी नं० मे रकबा 564.74 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
31	0.1000	पहाड	0.1000			जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
32	0.1100	पहाड	0.1100			
33	0.2100	पहाड	0.2100			
340	0.3400	पहाड	0.3400			
341	0.0200	पहाड	0.0200			
342	56.6200	पहाड	56.6200			
343	0.0400	पहाड	0.0400			
354	0.0700	पहाड	0.0700			
355	0.0100	पहाड	0.0100			
356	0.1100	पहाड	0.1100			
359	0.0400	पहाड	0.0400			
360	0.1300	पहाड	0.1300			
475	3.2500	पहाड	3.2500			
476	0.6200	पहाड	0.6200			
477	98.2700	पहाड	98.2700			
478	0.2700	पहाड	0.2700			
479	1.1600	पहाड	1.1600			
480	0.1600	पहाड	0.1600			
481	0.1000	पहाड	0.1000			



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

फॉर्म पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- भवरिया
पटवार इल्का :- कगडा
भू अग्रि.नि. :- ओमणा
तहसील :- झाडोल
जिला :- उदयपुर

सन्तत :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टैयर
साता संख्या नया :- 71
साता संख्या पुराना :- 71

482	87.6500	पहाड	87.6500
483	0.9500	पहाड	0.9500
व.वि.रे.पानरवा			
484	12.9200	पहाड	12.9200
486	121.0300	पहाड	121.0300
487	103.0000	पहाड	103.0000
490/1	1.5600	पहाड	1.5600
491/3	0.0100	पहाड	0.0100
492/4	0.0600	पहाड	0.0600
497/24	0.0200	पहाड	0.0200
498/34	0.0200	पहाड	0.0200
500/39	0.0200	पहाड	0.0200
501/353	0.0100	पहाड	0.0100
502/352	0.0100	पहाड	0.0100
503/351	0.0200	पहाड	0.0200
505/336	0.0300	पहाड	0.0300
506/339	0.0300	पहाड	0.0300
525/23	0.1200	पहाड	0.1200
8	0.0800	पहाड	0.0800
9	0.0900	पहाड	0.0900

कुल खसरे - 47 564.7400 564.7400

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

NIC



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- उपरेटा
पटवार हल्का :- धोबावाड़ा
भू अभि. नि. :- ओगणा
तहसील :- झाडोल
जिला :- उदयपुर

संवत् :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज. सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 291
खाता संख्या पुराना :- 288

काश्तकार का नाम:-

1. वनविभाग हिस्सा- पूर्ण वन विभाग,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
1	0.0400	पहाड	0.0400			
10	0.1600	मगरी	0.1600			
105	5.9900	पडत	5.9900			
11	0.0300	सड़क	0.0300			
12	0.2000	नाली	0.2000			
13	0.0500	मगरी	0.0500			
14	0.1000	सड़क	0.1000			
1435	65.7000	पहाड	65.7000			
1436	0.8900	पहाड	0.8900			
1437	19.4700	पहाड	19.4700			
15	0.3700	सड़क	0.3700			
16	0.1000	मगरी II	0.1000			
17	0.4600	मगरी II	0.4600			
18	0.4200	मगरी II	0.4200			
19	0.1200	रांकड़	0.1200			
20	29.3000	पहाड	29.3000			
20	0.1200	मगरी II	0.1200			
24	63.8600	पड़त दि. B	63.8600			
3	2.2200	पहाड	2.2200			
3042	0.1700	मगरी	0.1700			
3043	0.0600	मगरी	0.0600			

नोट नं. 1 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नानालाल खैर पुत्र भेरा को अधिकार-पत्र नं० 1209 दिनांक 25/09/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.48 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।

नोट नं. 2 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत टालुराम पुत्र अम्बावा को अधिकार-पत्र नं० 1207/09 दिनांक 25/09/2009 से आराजी नं० 24 मे से रकबा 0.32 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।

नोट नं. 3 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत थावरा पुत्र अम्बावा खराडी को अधिकार-पत्र नं० 1206/09 दिनांक 25/09/2009 से आराजी नं० 24 मे से रकबा 0.56 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।

नोट नं. 4 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत धरमाबैर पुत्र भेराजी को अधिकार-पत्र नं० 1204/09 दिनांक 25/09/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.80 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।

नोट नं. 5 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 सभी



जमाबन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

पत्र पी-26 (सी)
देखिये नियम 153 ए

ग्राम का नाम :- उपरेटा
पटवार हल्का :- थोबावाड़ा
भू अभि.नि. :- ओगणा
तहसील :- झाडोल
जिला :- उदयपुर

संवत् :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 291
खाता संख्या पुराना :- 288

ख.सं.	क्षेत्रफल	प्रकार	ख.सं.	विवरण
3044	85.3000	मगरी	85.3000	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत लालुराम
3045	0.1900	मगरी	0.1900	पुत्र दल्लाजी को अधिकार-पत्र नं० 1173/09 दिनांक 25/09/2009
3046	0.0900	पहाड	0.0900	से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.64 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
3322	53.9300	पहाड	53.9300	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
35	0.5800	पडत	0.5800	नोट नं. 6 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 राभी
4	67.7500	पहाड	67.7500	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खेता पुत्र
5	0.3100	सड़क	0.3100	अम्बावजी को अधिकार-पत्र नं० 1205/09 दिनांक 25/09/2009
71	0.0900	मगरी II	0.0900	से आराजी नं० 24 मे से रकबा 0.56 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
582	113.8700	पडत	113.8700	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
583	14.9500	पहाड	14.9500	नोट नं. 7 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 24 राभी
584	64.4000	पहाड	64.4000	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत शान्तीलाल
585	1.9300	पहाड	1.9300	पुत्र अम्बावजी को अधिकार-पत्र नं० 1203/09 दिनांक 25/09/2009
586	72.2100	पहाड	72.2100	से आराजी नं० 24 मे से रकबा 0.32 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
587	3.3400	पहाड	3.3400	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
588	181.7700	पहाड	181.7700	नोट नं. 8 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी
589	1.6800	पहाड	1.6800	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कडवा पुत्र
59	7.0000	मगरी II	7.0000	भूराजी को अधिकार-पत्र नं० 1182/09 दिनांक 25/09/2009
590	121.9200	पहाड	121.9200	से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.80 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
6	0.9500	पहाड	0.9500	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
626	0.1000	नाला	0.1000	नोट नं. 9 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी
630	0.0400	मगरी	0.0400	काश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत रतनलाल पुत्र,
631	0.0500	मगरी	0.0500	दल्लाजी को अधिकार-पत्र नं० 849/09 दिनांक 11/08/2009
632	0.4300	मगरी	0.4300	से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.48 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र
640	42.3000	मगरी	42.3000	



जमाबन्दी प्रतिलिपि (शिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी),
(देखने नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- सुभरिता
पर्यार हल्का :- शोबावाडी
भू.अभि.वि :- ओगणा
तहसील :- झाडील
जिला :- उदयपुर

संवत् :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाला संख्या नं० :- 291
खाला संख्या पुराना :- 288

क्र.सं.	रकबा	प्रकार	रकबा	विवरण
7	0.2200	पहाड	0.2200	जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया नोट लगा हुआ है।
8	0.0700	सडक	0.0700	नोट नं. 10 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी। कमश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अर्पुन पुत्र होमा को अधिकार-पत्र नं० 860/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.64 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
9	0.1200	सडक	0.1200	नोट नं. 11 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी। कमश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत यावरचन्द पुत्र होमाजी को अधिकार-पत्र नं० 861/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.40 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
901	73.4000	गमरी प्रथम	73.4000	नोट नं. 12 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी। कमश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भेरा पुत्र मानजी को अधिकार-पत्र नं० 867/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.50 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
				नोट नं. 13 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी। कमश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत हुरा पुत्र हवा को अधिकार-पत्र नं० 864/09 दिनांक 11/08/2009 से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.32 हेक्टेयर का अधिकार-पत्र जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ है।
				नोट नं. 14 से दिनांक 07/07/2021 खसरा संख्या : 582 राभी। कमश्तकार पर वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाबुलाल



जमावन्दी प्रतिलिपि (सिर्फ देखने हेतु)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- उपरेटा
पटवार हल्का :- थोबावाड़ा
भू अभि.नि. :- ओगणा
तहसील :- झाडोल
जिला :- उदयपुर

संवत् :- 2077 - 2080
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 291
खाता संख्या पुराना :- 288

पुत्र भेराजी को अधिकार-पत्र नं० 866/09 दिनांक
11/08/2009

से आराजी नं० 582 मे से रकबा 0.48 हेक्टेयर का
अधिकार-पत्र

जिला स्तरीय समिति द्वारा जारी किया गया। नोट लगा हुआ
है।

कुल खसरे - 49 1098.8200 1098.8200

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है।

115

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

-: बैठक कार्यवाही विवरण :-

भेरास दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड, इन्फार्स्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा जिले के उपखण्ड क्षेत्र झाडोल, गोमुन्दा, त्रधपगदेव एवं लसाडिया में 0.1325 हे०, 0.3645 हे० एवं 0.6275 हे० वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने के संबंध में आज दिनांक 30.01.2023 को जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

उक्त उपखण्ड क्षेत्रों में ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के संबंध में ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंषा अनुसार अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006, 2008 एवं संशोधित नियम 2012 के तहत सभी सदस्यों ने प्रकरण का वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा पाया गया कि प्रस्तावित वन भूमि के अधीन कोई व्यक्तिगत वनाधिकार दावा स्वीकृत नहीं किया गया है और ना ही वर्तमान में वन क्षेत्र में कोई व्यक्तिगत दावा विचाराधीन है। तदनुसार उपखण्ड गोमुन्दा, झाडोल, त्रधपगदेव एवं लसाडिया में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन विछाने हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुशंषा की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रभावित होने वाली वन भूमि	वन अधिकार पत्र जारी/ दावा स्वीकृत/ विचाराधीन हो	विशेष विवरण
1	अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टीकल फाईबर लाईन	गोमुन्दा	पडावलीकंला (अनरोटल्ड)	पडावली कला	-	नहीं	ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित ग्राम सभा की सूची संलग्न एवं सम्बंधित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक विवरण
2		झाडोल	शवरिया, 477, 478, 479, 01 उपरेटा 4, 5, 6, 10	उपरेटा	-	नहीं	
3		त्रधपगदेव	दागातालाब 1646, 1664, 1679, 1988/1664 जलपका 1303, 1364, 1828/910, 1808, 836 आम्बा उम्बरिया 325, 327, 329, 366, 374 गणवन कांकण 1032, 2473	गणवन कोजावाडा	-	नहीं	
4		लसाडिया	गुजरो का गुडा 265/1 फूसरिया 356, 658, 609, 619	बलीचा ढिकिया	-	नहीं	

उप वन संरक्षक,
उदयपुर

अतिरिक्त कार्यकारी
अधिकारी,
जिला परिषद,
उदयपुर

उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास
विभाग, उदयपुर

जिला कलक्टर,
उदयपुर

श्रीमती नवली गमेती,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर

श्री विजयसाम,
जिला परिषद सदस्य,
उदयपुर

(श्री मुखर तेली)
उप जिला प्रमुख, जिला
परिषद, उदयपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : एफ 4() टीएडी/वन.अधि./2023/5483

दिनांक : 15/11/23

उपखण्ड अधिकारी,
गोगुन्दा/झाडोल/
ऋषभदेव/लसाडिया
जिला उदयपुर।

विषय :- मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक प 12/3() राजस्व/आव/23/107/ दिनांक 11-1-2023 (संलग्न) द्वारा इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा जिले के उपखण्ड गोगुन्दा, झाडोल, ऋषभदेव एवं लसाडिया में वन भूमि में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित होने वाली वन भूमि के सम्बन्ध में निम्नांकित राजस्व ग्राम के सामुदायिक व व्यक्तिगत अधिकार पट्टे जारी किये गये है या नहीं एवं विचाराधीन है/नहीं है। इस सम्बन्ध में सूचना श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय द्वारा अविलम्ब चाही गई है।

क्र.सं.	कार्य का नाम	उपखण्ड का नाम	राजस्व ग्राम का नाम एवं खसरा नं.	ग्राम पंचायत का नाम
1	अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर लाईन	गोगुन्दा	पडावलीकला (अनसेटल्ड)	पडावली कला
2		झाडोल	भवरिया 477,478,479,01 उपरेटा 4,5,6,10	उपरेटा
3		ऋषभदेव	दामातालाब 1646,1664,1679,1988 / 1664 जलपका 1303,1364,1828 / 910,1808,836 आम्बा उम्बरिया 325,327,329,366,374 गणवन कांकण 1032,2473	गणावन कोजावाडा
4		लसाडिया	बलीचा 899/1, 944/1 ढिकिया 658,609	बलीचा ढिकिया

जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग लिमिटेड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन विछाने हेतु प्रभावित उक्त खसरा नं. के वन अधिकार पत्र धारकों की मौका निरीक्षण कर तथ्यात्मक रिपोर्ट तीन दिवस में भिजवाने का श्रम करावें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
u
उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./वना./2019/1124

दिनांक 08.04.2022

निमित्त,

1. उप वन संरक्षक,
उदयपुर।
2. उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैसर्स दिनेश ईंजिनियर्स लि. को गोगुन्दा-किरट मार्ग, खेरवाडा-झाड़ोल मार्ग एवं बडी सादडी-लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 12.04.2022 को प्रातः 10:30 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित होंगे।

311
(ओ.वी.बुनकर)
अति. जिला कलक्टर,
O/c उदयपुर
Q/310

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: प.39/1()राज./वना./2019/606

दिनांक 18.02.2022

79

निमित्त,

1. उप वन संरक्षक,
उदयपुर।
2. उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय: अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के परिवर्तन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मैसर्स दिनेश इंजिनियर्स लि. को गोगुन्दा-किरट मार्ग, खेरवाडा-झाड़ोल मार्ग एवं बडी सादडी-लसाडिया मार्ग पर स्थित वन भूमियों में अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने हेतु एफ.आर.ए. प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में इस कार्यालय में विचाराधीन प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में जिला कलक्टर महोदय के समक्ष चर्चा हेतु दिनांक 21.02.2022 को सांय: 05:00 बजे बैठक निर्धारित की गई है।

अतः मामले में आप संबंधित नियम/कानूनी प्रावधान के साथ बैठक में अनिवार्यतः उपस्थित हों।

(ओ.बी.बुनकर)
अति. जिला कलक्टर,
उदयपुर

कार्यालय जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

संख्या पत्र-1

क्रमांक प.39/1()राज./मै.व.प्र./2021/1787

दिनांक 01.06.2022

निमित्त

उपखण्ड अधिकारी,
मोगुन्दत/झाडोल/ऋषभदेव/लसाडिगा।

विषय: मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

प्रसंग: इस कार्यालय का संसंख्यक पत्रांक: 1787, 1788, 1789 एवं 1790 दिनांक 01.06.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपका ध्यान इस कार्यालय के प्रारंभिक पत्रों की ओर आकर्षित लेख है कि मैसर्स दिनेश इंजिनियरिंग को अण्डर ग्राउण्ड ऑप्टिकल फाइबर लाईन बिछाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभाओं की प्रतियां चाही गई थी, जो आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।

अतः इस संबंध में आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि मामले में उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंसा रिपोर्ट एवं संबंधित ग्राम पंचायतों की ग्राम सभा की प्रतियां शीघ्र इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

(सारा चन्द भीणा)
जिला कलक्टर,
O/C उदयपुर
01/06/2022

TOI LINE OF NO CONTROL SANDEEP ADHWARYU NORWAY PM ERNA SOLBERG FINED FOR VIOLATING COVID RESTRICTIONS



Terrorists kill Territorial Army soldier in Anantnag: A Territorial Army soldier shot and critically wounded by terrorists in south Kashmir's Anantnag district...

Table with 5 columns: S. NO, Name of Borrower(s), Particulars of Mortgaged property, Date of NPA, Outstanding Amount (Rs.).

Notice under section 13(2) of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The Act)

PUBLIC NOTICE ICICI Bank

Registered office: Landmark, Race Course Circle, Vadodra 390 007. Corporate office: ICICI Bank Towers, Bandra-Kurla Complex, Mumbai 400 051.

Large table listing loan accounts with columns for Loan A/C No., Customer Name, Branch Name, and other details.

TIMES NATION

D-aide walks out of UK jail as US drops extradition plea

Naomi Canton Before judgment was handed down, on April 7 the Westminster magistrates' court granted him unconditional bail...

CBI quizzes bar owner named in Waze diary

Ex-Constable Shinde Too Questioned Rajshekhara Jha @timesgroup.com



Sachin Waze has been in custody since his arrest on March 13

New Delhi: The CBI on Friday questioned former Mumbai police constable Vinayak Shinde and a bar owner from Borivli, Mumbai...

Apart from the duo, the agency also recorded the statement of DCP Raju Bhujbal and questioned Singh and API Sachin Waze again on Friday...

FRANCHISE OPPORTUNITIES advertisement for Lokpriya Digital Marketing Academy.

ANDHRA PRADESH MEDICAL SERVICES & INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION advertisement.

Existing growing Dairy company willing to buy sick / stressed DAIRY UNIT advertisement.

Drugs Wing: 1. T.No.99/APMSIDC/Medicine Wing/2021-22 advertisement.

Civil Wing: 1. T.No.1/APMSIDC/Technical/2021-22 advertisement.

APMSIDC will reserve the right to cancel the tenders at any time without assigning any reasons.

DI PR No. 14PPCLJADVI/11/2021-Dated: 09.04.2021 advertisement.

UTTRAKHAND advertisement.

PROPERTY ANCILLARIES advertisement.

LEASE & RENT advertisement.

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर advertisement.

RAMA Arya W/O Hasti Mal Arya advertisement.

IRfan Mohammad Khilji S/O Abud Sattar Khilji advertisement.

LOST & FOUND advertisement.

rajasthan सरकार जन विभाग advertisement.

TUTOR'S LOOKING FOR STUDENTS advertisement.

Readers are recommended to make appropriate enquires and seek appropriate advice before sending money...

आंतरिक सुरक्षा की मजबूती अब नागरिकों की जिम्मेदारी: सिंह

भाजयुमो देहात का सैनिक सम्मान समारोह

ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर

भाजयुमो देहात की ओर से गुरुवार को पेटेल सर्कल स्थित भाजपा कार्यालय में सैनिक सम्मान समारोह हुआ। इसमें भूपूर्व सेना के अधिकारियों एवं जवानों का सम्मान किया गया एवं रक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर वक्ताओं ने विचार रखे। मुख्य वक्ता सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल पन्के सिंह ने सैन्य क्षेत्र में हुए नवाचारों, आधुनिकीकरण एवं गलवान घाटी विषय पर कहा कि गलवान घाटी भारतीय सेना की अजेयता व शौर्य के रूप में बाद की जाएगी। जनरल सिंह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी सरकारों के साथ साथ अब नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के इरादों को भांप कर उन्हें अपने क्षेत्र में कराया जाव। उदयपुर सांसद अर्जुनलाल मीणा ने कहा देश में रक्षा आधुनिकीकरण के युग का



सूत्रपात केंद्र की मोदी सरकार के नेतृत्व में हुआ है। तीनों सेना में प्रभावी समन्वय हेतु चीफ ऑफ डिफेंस की नियुक्ति हुई। शहीद परिवारों की सहायता राशि 4 गुना बढ़ाई गई। कर्नल जीएल पानेरी ने कहा सैनिक न तो कभी टायर्ड होता है न ही रिटायरड।

पुरा देश उसका परिवार होता है। कार्यक्रम को भाजपा देहात जिलाध्यक्ष भंवरसिंह पंवार, भाजयुमो के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नाहर सिंह जोधा, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिलाल अहारी, भाजयुमो जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी

जिला महामंत्री चंद्रगुप्त सिंह चौहान, महेंद्र औदीच्य व गजपाल सिंह राठौड़ ने भी सम्बोधित किया। भाजयुमो उदयपुर देहात की ओर से सैनिकों का प्रतीक चिह्न व उपरगा देकर स्वागत किया गया। इनका हुआ सम्मान : कार्यक्रम में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सिंह, कर्नल जीएल पानेरी, कर्नल सोहनलाल, कर्नल केडी सिंह, कर्नल मनोहर सिंह, कर्नल दुर्गासिंह पालीवाल, कर्नल एएनएन शर्मा, एमएफएलओ एसडी शर्मा, सुवेदार आमपाल सिंह, मास्टर वाइड ऑफिसर हरि सिंह का सम्मान किया गया।

आंतरिक सुरक्षा विषयक संगोष्ठी

ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। हिन्दू जागरण में उदयपुर विभाग द्वारा सेक्टर-4 स्थित विद्या निकेतन स्कूल में आंतरिक सुरक्षा विषय पर संगोष्ठी हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक हिन्दू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री मुरलीमनोहर, संघ के उदयपुर विभाग कार्यवाह माननीय पुष्कर लोहार, हिन्दू जागरण मंच के चितौड़ प्रांत महामंत्री रविकान्त का आतिथ्य प्राप्त हुआ। मुरली मनोहर ने आंतरिक सुरक्षा विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया। धर्मोत्सव समिति के दिनेश मकवाना, मातृ शक्ति की ओर से दीक्षा भागवत, बजरंग सेना के कमलेश सिंह पंवार, विप्र सेना के प्रतिनिधि भूमिका चौबीसा, राष्ट्रसेविका समिति की अंजू सोनी, संघ गोपाल सोनी, शंकरलाल भोई ने भी विचार व्यक्त किए।

आमेटा ब्राह्मण समाज का सामूहिक विवाह स्थगित

उदयपुर। अखिल भारतीय आमेटा ब्राह्मण समाज की केंद्रीय सामूहिक विवाह आयोजन समिति की बैठक मधुवतीप्रसाद आमेटा की अध्यक्षता व श्याम लाल आमेटा गायदोली के अध्यक्ष में हुई। बैठक में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सामूहिक विवाह समारोह स्थगित कर का निर्णय लिया गया।

गुड़ी पड़वा पूजन संपन्न, आज गवरी चौक पर रंगोली



ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की ओर से गुरुवार को गुड़ी पड़वा पूजन किया गया। इसके तहत किए गए हवन में कोरोना से मुक्ति को कामना करते हुए आहुतियां दी गईं। पंचवटी स्थित आलोक स्कूल परिसर में दोपहर करीब 2.15 बजे हवन व गुड़ी पड़वा मनाया गया। डॉ. प्रदीप कुमावत ने बताया कि गुड़ी पड़वा भी चैत्र शुक्ल एकम को प्रारंभ होता है। गन्ने की फसल पकने के साथ गुड़ बनाने की जो व्यवस्था है उसके आधार पर गुड़ी पड़वा का महत्व है। वैदिक मंत्रों के साथ हवन कर 101 आहुतियां दी गईं। मुख्य अतिथि भारत विकास परिषद

के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष (उत्तर-पश्चिम) डीडी शर्मा थे। अध्यक्षता नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉ. प्रदीप कुमावत ने की।

विशिष्ट अतिथियों में राजश्री गांधी, संजीव भारद्वाज, हरिशंकर तिवारी, दलपत जैन, सती भटनागर, प्रान्त व्यास, पुष्पा टांक, नारायण चौबीसा, निश्चय कुमावत, प्रतीक कुमावत, शिवसिंह सोलंकी, भूपेन्द्र सिंह भाटी आदि उपस्थित थे। नववर्ष समारोह समिति और भारत विकास परिषद मेवाड़ की ओर से शुक्रवार शाम को सेक्टर-13 स्थित गवरी चौक पर शाम छह बजे माटी के रंग के अंतर्गत रंगोली का आयोजन होगा।

सिन्धी भाषा, संस्कृति दिवस कल

ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। भारतीयसिन्धु सभा की ओर से 10 अप्रैल को सिन्धी भाषा एवं संस्कृति दिवस मनाया जाएगा। इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए बड़ा आयोजन नहीं होगा। महानगर अध्यक्ष उमेश नारा ने बताया कि इस साल कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए संयुक्त रूप से बड़ा कार्यक्रम न करके शहर के विभिन्न नगरों में छोटे स्तर पर कम लोगों की उपस्थिति में सांकेतिक कार्यक्रम किए जाएंगे।

सन्त कंवरराम जयंती पर धर-धर होंगे श्रायोजन

सन्त कंवरराम सिन्धी मोहल्ला पंचायत के अध्यक्ष राजेश खत्री ने बताया कि इस वर्ष कोरोना की वजह से सन्त कंवरराम जयन्ती धूमधाम से नहीं मनाई जाएगी। रीपब्लिक डिस्टेंस रख कर साधारण रूप से सन्त कंवरराम साहिब का जन्मदिन 13 अप्रैल को सन्त कंवरराम कालीनी में घरों में ही मनाया जायेगा।

रख्यावल-विठोली पंचायत कार्यकारिणी घोषित

उदयपुर। विप्र फाउण्डेशन युवा प्रकोष्ठ राजस्थान प्रदेश शाखा के प्रेदेश अध्यक्ष नरेन्द्र पालीवाल की अनुशंसा पर पूर्व देहात जिलाध्यक्ष गणेश नागदा ने पंचक नागदा को विप्र फाउण्डेशन युवा प्रकोष्ठ के रख्यावल-विठोली पंचायत का अध्यक्ष एवं श्रायोजन पालीवाल को महामंत्री के पद पर नियुक्त किया है।

उपभोक्ता अधिकार संगठन ने मनाया स्थापना दिवस

उदयपुर। उपभोक्ता अधिकार संगठन के 11 वर्ष पूर्ण होने पर होटल रेडिसन में कार्यक्रम हुआ। अध्यक्षता करते हुए जौनल वाइस प्रेजिडेंट विपुल मोहन ने उपभोक्ताओं के अधिकारों और एव संचयन में संशोधित कानून पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष राजश्री गांधी ने कहा कि संगठन पिछले 10 वर्षों में उपभोक्ताओं और उनके अधिकारों के प्रति सजग रह

जागो ग्राहक जागो और ग्राहक बोलेगा जैसे नारों को अब अधिक से अधिक चलाने में लाना होगा। मनोज जैन ने गत वर्ष के कार्यों की जानकारी दी। इस वर्ष पुनः जिला अध्यक्ष के पद पर सर्वसम्मति से उर्द्वे नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश तकनीकी अधिकारी शिरीश नाथ माधुरी, जिला उपाध्यक्ष ज्योत्सना जैन, डॉ नीता मेहता, सिमरन गखरेजा, मनीष



नंदवाना समाज सेवा समिति



जैन जागृति सेंटर महिला शाखा

टीकाकरण के साथ जागरूकता अभियान जारी

उदयपुर। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को खत्म करने के लिए शहर के लोग उत्साह से जुटे हुए हैं। एक ओर जहाँ सामाजिक संगठनों में जागरूकता फलाने और टीकाकरण शिविर लगाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं आम लोगों में से अधिकांश मार्क लगाने लगे हैं। इससे उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस बीमारी की चेन को तोड़ा जा सकेगा।

समजजी बावजी के मुख्य पुजारी धर्मनारायण दशोरा ने गुरुवार को टीका लगवाया। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सियासत नहीं करें और महामारी को फैलने से बचाने के लिए टीका जरूर लगवाए। मुरुकान फाउंडेशन एवं जागृति हॉस्पिटल की ओर से कोरोना वैक्सिनेशन जागरूकता अभियान गुरुवार को शुरू किया गया। अभियान की शुरुआत कलेक्टर चेतन देवड़ा व सीएमएचओ डॉ. दिनेश खराडी ने की। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल मेवाड़ रीजन के चचेरमन मोहन बोहरा ने बताया कि ग्रुप के तत्वावधान में शहर में 8 स्थानों पर चलाये जा रहे 7 दिवसीय कोविड टीकाकरण शिविर के छठे दिन जैन सोशल ग्रुप के 4 केंद्रों पर 748 लोगों ने टीके लगवाए। बाई 64 पाषंड राकेश



वार्ड 60 में मालियों का नोहरा



समजजी बावजी

जैन ने बताया कि केशव नगर जैन मंदिर के सन्त सुभाषगार भवन में सातवें दिन टीकाकरण केंद्र में 138 लोगों ने टीका लगवाया। बाई 60 के रवि कुमावत ने बताया कि बाई 60 स्थित मालियों का नोहरा में टीकाकरण शिविर हुआ। शुरुआत संत राम महाराज जी की। शिविर में 165 लोगों ने टीका लगवाया।

नंदवाना समाज सेवा समिति की ओर से 4 दिवसीय कोविड टीकाकरण केंद्र का उद्घाटन ग्रामीण विद्यालय फूलसिंह मीणा ने किया। जैन जागृति सेंटर महिला शाखा की ओर से अशोक नरथ विज्ञान भवन में टीकाकरण हुआ। इसमें 200 लोगों ने टीका लगवाया।



कर कार्य कराता आ रहा है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ महेंद्र सिंह ने भविष्य में होने वाली गतिविधियों पर प्रकाश डाला। प्रदेश सचिव दलपत जैन ने कहा कि

मेहता, प्रशांत व्यास, प्रदीप रवानी, करन मल जारोली, गजेंद्र सिंह राठौर, गजेंद्र सुरगणा, प्रकाश जैन, एमएस वमां आदि उपस्थित रहे।

अयोध्या के साईं सुरेंद्रदास का स्वागत

उदयपुर। अयोध्या (फैजाबाद) के सन्त जगन्नाथ देववार के साईं सुरेंद्रदास का गुरुवार को उदयपुर पधारने पर पूज्य सिन्धी साहिती पंचायत के सन्त कंवरराम भवन पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर साईं सुरेंद्रदास ने भक्ति गीत के साथ आशीर्वाचन कहे। उन्होंने 13, 14, 15 जून को अयोध्या में लगने वाले 33 वें सन्त जन्मोत्सव पर परिवार सहित अयोध्या आने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर पूज्य साहिती पंचायत के प्रेमचंद सावधानी, जया पहलवानी, कमलेश राजानी, रामचंद्र चोहरानी, कैलाश नेभानी, भगवानदास वरधानी, कमल वरधानी, मनोहर भावनी व लक्ष्मण सेनानी उपस्थित थे।

सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप

उदयपुर। संयुक्त पैसा ग्रामसभा सुंदरा ने जिला कलेक्टर को 35 बीघा विलानाम सरकारी जमीन पर अवेध कब्जा करके सरकारी जमाबंदी में हेरफेर व कूटरचना से खुद के नाम पर करने वाले के खिलाफ जापन दिया। जापन में आरोपी के खिलाफ आचार्यक मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने तथा जमीन को अधिग्रहित कर स्थानीय किसानों व पंचायत को सुपुर्द करने की मांग की गई। जापन में बताया कि आरोपी ने सुंदरा के पास ग्राम मेवाड़श के वक्त साढ़े 38 बीघे जमीन दस्तावेजों के मुंबई में अब बढ़कर 80 बीघा हो गई है जबकि उक्त परिवार ने न जमीन क्रय की, न दान में प्राप की। जापन देने वालों में जागरूक युवा संगठन के कन्हैयालाल, मजदूर हक संगठन के शांतिलाल, महेंद्र डामोर तथा ग्राम सभा के बाबूलाल, मुकेश व सक्जी, रामजी, कुंजाजी आदि सम्मिलित थे।

शादी के नाम पर धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

नवज्योति/गोगुंदा। गोगुंदा पुलिस ने शादी के नाम से धोखाधड़ी के मामले में आठ माह से फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। धनाधिकारी प्रवीणसिंह सिसोदिया ने बताया कि आरोपी लक्ष्मण सिंह राजपूत निवासी बल्लोला का गुंडा था। केलवाड़ा को मुंबई से गिरफ्तार किया। इसके खिलाफ गत 12 अप्रैल को रतन सिंह निवासी गिरोल ने रिपोर्ट पेश की कि लक्ष्मण धोखे व मांगु सिंह ने भावना के साथ मिलकर सिंघे से उसकी शादी भावना से कराई व पच्चास हजार रुपए शादी के नाम पर लिए। तीन लाख और मांगे इस पर पैसे नहीं देने पर भावना बिना बताए घर से चली गई व दूसरे व्यक्ति से शादी कर ली। मांगु सिंह व भावना को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।

शिक्षक समस्याओं पर चर्चा

उदयपुर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपाध्याय गिवां का प्रतिनिधिमंडल जिला संगठन मंत्री एवं गिवां के प्रतिपालक व मार्गदर्शक पुरुषोत्तम दवे, जिला कोषाध्यक्ष राकेश मेनारीया, गिवां अध्यक्ष करण सिंह चौहान के नेतृत्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी गिवां वीरेंद्र यादव से मिलकर शिक्षकों की समस्याओं के बारे में चर्चा की।

गीतांजली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में विविध गतिविधियां



ब्यूरो नवज्योति, उदयपुर। गीतांजली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में विविध स्वास्थ्य जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों ने वाकपट्टा एवं स्लोगन राइटिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। वाक्टर क्लब के मैनेजिंग डायरेक्टर विकास

अरोड़ा ने अपने वेबीनार में लेक्सिकॉम सॉफ्टवेयर की मदद से दवाओं के नुदिरहित उचित उपयोग व पेशेंट एजुकेशन के बारे में चर्चा की। प्रतियोगिता में फॉर्म डी प्रथम वर्ष की उर्वशी व फॉर्म डी द्वितीय वर्ष के आदित्य विजेता रहे।

हेड कांस्टेबल के इशारे पर त्यवसायी को धमकी, 5 दबोचे

ब्यूरो/नवज्योति, उदयपुर। अंबामाथा थाना क्षेत्र में हैडीक्राफ्ट व्यवसायी को अवेध वसूली के लिए धमकी देने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों ने हैड कांस्टेबल के इशारे पर व्यवसायी को धमकी दी थी और वही इस खेल का घमकत मांड है।

थानाधिकारी सुनिल कुमार टेलर ने बताया कि आलू फैक्ट्री कच्ची बस्ती पुलां निवासी गोपालसिंह राजपूत ने 5 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका उदयपुर आर्ट स्टूडियो का हैडीक्राफ्ट शो रूम है। रात करीब सवा नौ बजे शरीफ बाबा ने फोन पर जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि तेरा भाई सुगन सिंह पैसा नहीं दे रहा है। रात को घर पर 11 बजे करीब मुश्ताक व उसके 10-12 साथी तीन गाड़ियों में आए और घर के बाहर खड़ी इनको स्पोर्ट कार में तलवार व लड्डू मार कर करीब तीन लाख रुपए का नुकसान कर दिया। उसके बाद आरोपी देवाली में उसके भाई सुगन सिंह के घर गए जहां मुश्ताक ने हेड कांस्टेबल बुद्धनारायण से भाई सुगन

की बात कराई। हेड कांस्टेबल द्वारा पैसों के बारे में पूछने पर भाई ने बुद्धनारायण को कहा कि सारे पैसे दे दिए तो बुद्धनारायण ने कहा कि जो पैसे दिए वो दो साल के ब्याज में जमा हो गए। बताया गया कि शरीफ मोहम्मद, हेड कांस्टेबल बुद्धनारायण ने 2013 में पॉर्टरशिप में हैडीक्राफ्ट जेम्स एंड ज्वेलरी शॉप लगाई थी। घाटा होने पर 2019 में बंद कर दी। इसके बाद भाई को अवेध वसूली के लिए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पूरे षड्यंत्र का मास्टर मांड हेड कांस्टेबल बुद्धनारायण को बताया गया। इस मामले में फतहपुरा चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर कंवरलाल ने पेटेल सर्कल निवासी शरीफ मेवाती उर्फ मोड़ा उर्फ शरीफ बाबा, रजानगर निवासी मोहम्मद मुश्ताक अली, घंटाघर निवासी इरफान खान, गायरियास निवासी मंथन सिंह जिरोटिया व रजा नगर पलटन मोहल्ला सराड़ा हाल राविका निवासी मोहम्मद साजिद उर्फ टोनी को गिरफ्तार किया। सभी को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया।

महात्मा गाँधी अस्पताल, जयपुर श्री राम कैंसर एण्ड सुपर स्पेशियलिटी सेंटर

रीको इन्स्टीट्यूशनल एरिया, सीतापुरा, टॉक रोड, जयपुर 302 022 फोन: 0141-2771777, 2771001-2-3

गहन चिकित्सा सेवाएं

CRITICAL CARE

350 ICU बैड्स

राजस्थान की पहली 6 बैड्डेड ECMO (Lung Bypass) Unit

लंग्स ट्रांसप्लांट सेवाएं

(कैंडेवर लंग्स की उपलब्धता होने पर)

- अन्तरराष्ट्रीय स्तर के नेचूरल व्यू आईसीयू
- अत्याधुनिक सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम
- 24 घंटे प्राशिक्षित नर्सिंग स्टाफ
- उच्च तकनीकी युक्त जीवन रक्षा उपकरण

शिथिल होते शरीर तथा जीवन पर मंडाते संकट के समय साथ देते हैं

गहन चिकित्सा अनुभवी क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ विश्वस्तरीय चिकित्सा उपकरण व 24 घंटे सतत् नर्सिंग केयर हमारे प्रयास

विशिष्ट गहन चिकित्सा सेवाएं

- सेपिस
- ऑर्गन फेल्टर
- ट्रोमा
- बर्न
- अंग प्रत्यारोपण
- ट्रॉक (लकवा)
- श्वास सम्बन्धित रोग
- कोरोना

आदि से सम्बन्धित रोगियों के लिए विश्वसनीय सेवाएं

डॉ. आशीष जैन इंडियन, क्रिटिकल केयर रूटिन्स, MBBS, DNB, IDCCM, FCCP Associate Professor (Critical Care Dept.)

डॉ. सृष्टि जैन इंडियन, ECMO क्लिनिकल FFCM UK, F.N.B Critical Care EDIC, EDARM, M.D.DNB Associate Professor (Critical Care Dept.)

डॉ. प्रियम्वदा गुप्ता MD Anesthesia HOD & Professor (Critical Care Dept.)

डॉ. प्राची वर्मा Assistant Professor

डॉ. मुनेश कुमार मीणा Assistant Professor

डॉ. दिवांशु गुप्ता Assistant Professor

डॉ. रोहित जैन Assistant Professor

डॉ. रोहन तांबी Assistant Professor

डॉ. पुनीत पंवार Assistant Professor

24hr/7

सभी प्रकार की ICU सेवाएं

- मेडिकल आईसीयू (MICU)
- कार्डियक आईसीयू (CCU)
- सर्जिकल आईसीयू (SICU)
- न्यूरो आईसीयू (NEURO ICU)
- ट्रांसप्लांट आईसीयू (किडनी और लीवर)
- आइसोलेशन आईसीयू - कोविड / ऑन्कोलोजी / बोनमरो ट्रांसप्लांट
- नवजात व बाल चिकित्सा आईसीयू (NICU & PICU)
- सेमी आईसीयू (HCU)

AB-MGRSBY (आयुष्मान भारत - भामाशाह), सरस सामूहिक स्वास्थ्य योजना एवं मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष, राजस्थान सरकार व केंद्र सरकार (CGHS) के समस्त कर्मचारी व पेंशनर, ESIC, ECHS, BSNL, रेलवे, RCDF, FCI, All MEDI-CLAIM Cos. & TPAs से उपचार हेतु अधिकृत

सम्पर्क - 9001890265 • 9116133264 Toll free : 18001806001 क्रिटिकल केयर एम्बूलेंस : 9929108108

आपके शहर में पहली बार अर्धभूत शक्ति चमत्कार देखें

11 मिनटो में घर बैठे 101% गारंटीड समाधान बाबा

Reg No. 7078 अली खान

जैसे: मनचाहा वशीकरण लम्बरिज, किया करायी सोतन व दुश्मन से छुटकारा, नौकरी, कर्ज कारोबार, गृहकलेश, शादी व विदेश यात्रा में रुकावट, सास व बहू से झगडा, पति-पत्नी में अनबन, बीमारी में दवा का न लगना, मुदकरनी आदि।

प्यार में घोट खारे प्रेमी प्रेमिका अवश्य फोन कर एक बार

स्ये, मुदकरनी व वशीकरण **7042407476**

काम न होने पर पैसा वापस